

22-03-18

वकील अपी. या स्वयं अपी. कोई उपस्थित नहीं है। अपी. को बार-बार आवाजे दिलाई गई। अपी. की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अतः अपील अपीलान्त अदम हाजरी व अदम फरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फसल भुमार लेकर बाद तकमील जावला दाखिल दफ्तर हो।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भरतपुर संभाग, भरतपुर

70/07

नियम।

खिलाफ

का विल